अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2021 (RCMS 2021/132) RTI No. 212561215343696 गोपीराम पुत्र अखराम गांव 3 पी..बी. शेखसरपाल, वीपीओ 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपीराम स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि है उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2021 से प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई थी इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की थी। परन्तु अब उसे वांछित सूचना प्राप्त हो गई। इसलिए प्रार्थी यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता हूँ।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 17.07.2021 से लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2021 को राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर के स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार व जांच ना करने बाबत शिकायत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हुई है, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(1)(1)आर.टी.आई./[illegible] दिनांक 24.09.2021 से अपील का जवाब [illegible] अनुसार प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में न्यायालय द्वारा चाहा जा रहा वांछित रिकॉर्ड नोटशीट मय अन्य दस्तावेजों (संलग्न) की प्रतिलिपि पृष्ठ संख्या 01 से 19 तक आपको आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अपीलार्थी श्री गोपीराम द्वारा चाही गई सूचना (अपीलार्थी के पत्रावली में स्वयं के निरीक्षण के उपरांत) के कुल 09 पृष्ठ प्रमाणित प्रतिलिपि (रसीद संख्या 0044 दिनांक 01.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने के उपरांत) कार्यालय हाजा के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-
(डॉ. हरीतिमा)
प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा,
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और अपीलार्थी ने भी पत्रावली की फर्दअहकाम पर सूचना प्राप्त होना अंकित किया है और जिस पर उसने कोई आपत्ति भी जाहिर नहीं की है। चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो गई है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर